

भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31-ए
चंडीगढ़-160030

फाइल नम्बर: 9-PBB595/2014-CHA

दिनांक: बुधवार, 9 सितम्बर 2015

सेवा में,

नोडल ऑफिसर,
एफ० सी० ऐ० & सी० सी० एफ० (एफ सी)
पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 68,
एस० ए० एस० नगर (मोहाली), पंजाब

विषय: Diversion of 0.9068 hectares of forest land in favour of Central Works Division, PWD B&R, Jalandhar for Widening and Strengthening of Nakodar Bye Pass road section from KM 23.134 to 25.765 from 5.50 to 7 M including widening of Culvert/Minor Bridge under Forest Division and District Jalandhar, Punjab

सन्दर्भ: आपके कार्यालय के पत्र संख्या FCA/1980/259/2014/4032 दिनांक 31.08.2015.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.9068 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें।

i. 1800 पौधों को लगाने की धनराशि स्कीम के अनुसार रूपये 10,89,821/- निकाय के लेखा संख्या में जमा नहीं किये गए हैं। कृपया उपरोक्त धनराशि प्रतिपूर्ति पौत्रारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या PUNJAB CAMPA SBJ1C25224, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 या लेखा संख्या PUNJAB CAMPA SB344902010105429 भारतीय युनिचन बैंक, सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और इस कार्यालय को निर्धारित प्रोग्रामा द्वारा सूचित किया जाये।

3. उपरोक्त जानकारी, इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवेदीय,
(हर्ष मित्र) 9-9-15

अ०प्र० मु० वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला जालन्धर, पंजाब।
- कार्यकारी अभियन्ता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पी०डब्ल्यू०डी० (बी०&आर०) जालन्धर, पंजाब।